(नियम 26)

अज अदालत	उप जिला कलेक्टर	मुकाम	दीगोद
	प्रहलाद किशोर	बनाम	राज सरकार
किस्म मुकदमा	88-89 R.T.ACT	नं. 15	सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/5/18	वाद वादी की ओर से वकील श्री हरिशंकर मेघवाल द्वारा लोक अदालत केम्प नीमोदा में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं विवादित आराजी के सहखातेदार मोहनलाल उपस्थित। जवाब सरकार प्राप्त हुआ, जिसे शा0 मि0 किया गया। वकील वादी को सुना गया, वकील वादी ने कथन किये कि प्रतिवादी नं0 2 ता 4 वादी के भाई है, वादी का नाम प्रहलाद किशोर है और उसके पिता का नाम रामलाल है। विवादित आराजी पूर्व में वादी के पिता की खातेदारी में दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद विरासती इन्तकाल तस्दीक हुआ जिसमें वादी का नाम प्रहलाद किशोर के स्थान पर सहवन से रामप्रहलाद व प्रहलाद दर्ज हो गया, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 182 पर अंकित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामप्रहलाद के स्थान पर प्रहलाद किशोर अथवा रामप्रहलाद उर्फ प्रहलाद किशोर, ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 81 पर अंकित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम रामप्रहलाद के स्थान प्रहलाद किशोर तथा ग्राम खेडली थारला तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 48 पर अंकित नाम प्रहलाद के स्थान पर प्रहलाद किशोर दर्ज किया जावें। वादी द्वारा वांछित रिलीफ के सम्बन्ध में जवाब सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी के सहखातेदार प्रतिवादी नं0 4 मोहनलाल ने मजमें आम में उपस्थित होकर वादी द्वारा चाही गई रिलीफ पर सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर सहमति अंकित की तथा कथन किये कि वादी का वास्तविक नाम प्रहलाद किशोर ही है। सहखातेदार द्वारा वादी का वाद डिक्री किये जानें का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी, छायाप्रति आधार कार्ड, पेन कार्ड, पेंशन आई0डी0 तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।	प्रहलाद व रामप्रहलाद का एक ही व्यक्ति है मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तामील
	अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम हरीपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 178 रकबा 1.74 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित का नाम रामप्रहलाद पुत्र रामलाल के स्थान पर प्रहलाद किशोर उर्फ रामप्रहलाद पुत्र रामलाल, ग्राम हरीपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 276, 277, 311, 548, 549 कुल किता 5 रकबा 5.09 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम रामप्रहलाद पुत्र रामू के स्थान पर प्रहलाद किशोर उर्फ रामप्रहलाद पुत्र रामू तथा ग्राम खेडली थारला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 20, 97 कुल किता 2 रकबा 1.78 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम प्रहलाद पुत्र रामा के स्थान पर प्रहलाद किशोर उर्फ प्रहलाद पुत्र रामा दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। 16/5/18	